

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
2(1441) डी.ओ.आई. टी./संस्था / 13/Part III/ I/ML-231

जयपुर दिनांक 11-12-013

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अध्ययन का प्रकार
1	श्री विकास कुमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित
2	सुश्री मोनिका शर्मा	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जगतपुरा	बनस्थली विद्यापीठ	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
3	सुश्री कोमल शर्मा	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जगतपुरा	राजस्थान विश्वविद्यालय	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
4	श्री अब्दुल अजीज	भीकमकोर हास्पिटल, ओसिया, जोधपुर	लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, जोधपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
5	श्री सीताराम मीणा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु	राजस्थान विश्वविद्यालय	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित
6	श्री रवि कुमार सैनी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु	आई.ई.टी कॉलेज, अलवर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
7	श्री नितिन कुमार	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी	महर्षि अरविन्द इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कोटा)	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
8	श्री राजीव अग्रवाल	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित
9	सुश्री दुर्गा मेनोलिया	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-अजमेर	एपेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस, मानसरोवर, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
10	सुश्री ज्योति चन्सौरियां	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर	एपेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस, मानसरोवर, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
11	सुश्री सुनिता चौधरी	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, रामबाग सर्किल, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
12	सुश्री शुभांगी गर्ग	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	एपेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस, मानसरोवर, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
13	सुश्री रीना चौधरी	सामु.स्वा. केन्द्र, किशनगढ़(अलवर)	बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेन्ट फॉर गर्ल्स	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित
14	सुश्री कोमल कंवर	कार्यालय डॉ.एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	लाचू मेमोरियल कॉलेज, जोधपुर	एम.सी.ए. फाइनल ईयर	नियमित
15	सुश्री नेहा व्यास	कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर	इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित
16	सुश्री अर्चना तिवारी	कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड प्रथम	ऐश्वर्या कॉलेज, उदयपुर(राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा)	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
17	सुश्री रीटा वर्मा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेन्ट, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर एवं 6 th सेमेस्टर	नियमित

	राहुल कुमार शर्मा	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर(अलवर)	महर्षि अरविन्द इन्सटीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड मैनेजमेन्ट, जयपुर	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित
19	सुश्री प्रिया शर्मा	कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर वृत्त, अजमेर	आर्य कॉलेज अजमेर(अजमेर यूनिवर्सिटी, अजमेर)	एम.एस.सी. आई.टी. फाईनल	नियमित
20	सुश्री कृति सिंह	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा	एम.सी.ए. 5 th सेमेस्टर	नियमित

उक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के बाहर होगा। कार्यालय समय में अध्ययन या कक्षा/कॉलेज में उपस्थिति हेतु ये स्वीकृति मान्य नहीं है।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. शिक्षण संस्था में उपस्थिति हेतु कार्यालय से अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे व इसके लिए अलग से अवकाश स्वीकृत करना होगा। साधारणतः परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. अध्ययन की स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

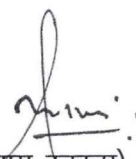
— sd —

(सीताराम स्वरूप)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन-एन.जी.)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. संबंधित विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(सीताराम स्वरूप)

प्रभारी अधिकार (संस्थापन-एन.जी.)